website: www.pawanprawah.com
डाक पंजीयन संख्या GPO LW/NP-106/2018-2020
सत्य का प्रवाह सतत् प्रवाह
लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

लेखक डॉ. भरत राज सिंह
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के महानिदेशक
एवं वैदिक विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष हैं

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति व वर्तमान स्थिति

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप नव गठित भारत सरकार 30 मई 2019, शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। निशंक ने आज दिनांक 31 मई 2019 को ही कार्यभार संभाला और जो मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ का अद्धयन किया। जिसकी सन्क्षिप्त विवरण का उल्लेख किया जा रहा है।

भाग-11

गतान्क से आगे

10.9 उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई समस्याओं पर विचार कर सकें। विशिष्ट ज्ञान और कुशलताओं के प्रसारण के द्वारा उच्च शिक्षा राष्ट्र के विकास में सहायक बनती है। इसलिये समाज के जीवन में उसकी निर्णायक भूमिका है, शैक्षिक पिरामिड में शीर्ष पर होने के नाते समूची शिक्षा व्यवस्था के लिये अध्यापक तैयार करने में भी इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। आजकल ज्ञान का जो अभूतपूर्व विस्फोट हो रहा है, उसे देखते हुए उच्च शिक्षा को पहले से कहीं ज्यादा गतिशील होना है और नवीन अध्ययन-क्षेत्रों में निरन्तर कदम बढ़ाते रहना है। आज भारत में करीब 150 विश्वविद्यालय और 5000 कॉलेज हैं। इन संस्थाओं में सभी प्रकार का सुधार लाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि निकट भविष्य में मुख्य बल विद्यमान संस्थाओं को दृढ़ करने और उनकी सुविधाओं के विस्तार पर हो। उच्च शिक्षा-व्यवस्था को गिरावट से बचाने के लिए सभी संभव उपाय किये जाएंगे।

- विश्वविद्यालयों से कालेजों के अनुबंधन एपिफलिएशन की प्रथा का अनुभव कहीं संतोषप्रद और कहीं असंतोषप्रद रहा है। इसलिए अनुबंधन को घटाकर बड़ी संख्या में कालेजों को स्वायत्तता देने पर बल दिया जाएगा। उद्देश्य यह है कि वर्तमान अनुबंधन की प्रथा के स्थान पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच एक स्वतंत्र और अधिक सृजनशील संबंध का जन्म हो। इसी तरह विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुये विभागों को भी स्वायत्तता देने को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी अवश्य ही रहेगी।
- विशिष्टीकरण की मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिये पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को नये सिरे से बनाया जायेगा। भाषिक क्षमता पर विशेष बल दिया जाएगा। विद्यार्थी कौन-कौन से कोर्स एक साथ ले सकते हैं, यह तय करने में अधिक लचीलापन रहेगा।
- राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजन और उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय संपन्न करने हेतु शिक्षा परिषदें बनाई जाएंगी। शिक्षा के स्तर पर निगरानी रखने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ये परिषदें समन्वय पद्धतियाँ बनायेगी।
- न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश उनकी ग्रहण- क्षमता के अनुसार किया जायेगा। शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किये जाएंगे। दृश्य-श्रव्य साधनों और इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोगप्रारम्भ होगा। विज्ञान भी टैक्नॉलाजी के शिक्षाक्रम और शिक्षण सामग्री के विकास पर और अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जायेगा। इसके लिये अध्यापकों की सेवा-पूर्व तैयारी और बाद में उनकी सतत् शिक्षा आवश्यक होगी। अध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जायेगा। सभी पद योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे।
- विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिये अधिक सहायतादी जाएगी और उसकी उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे। विश्वविद्यालय में किये जा रहे अनुसंधान और अन्य संस्थाओं द्वारा किये जा रहे अनुसंधान के बीच, विशेषकर विज्ञान और टेक्नालाजी के अग्रवर्ती क्षेत्रों में, तालमेल बनाये रखने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उचित व्यवस्था की जायेगी। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं की सुविधाओं को विश्वविद्यालयीन प्रणाली के अंतर्गत स्थापित करने के प्रयास किये जाएंगे और इन संस्थाओं में स्वायत्त प्रबंध की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- भारत विद्या, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिये पर्याप्त सहायता दी जाएगी। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संश्लेषण लाने की दृष्टि से अंतर्विषयी अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस बात का भी प्रयत्न होगा कि भारत के प्राचीन ज्ञान के भण्डार में पैठा जाए और उसे समकालीन वस्तुस्थिति से जोड़ा जाए। इसके लिये संस्कृत और अन्य श्रेष्ठ भाषाओं के गहन अध्ययन का विकास करना जरूरी होगा।
- नीति में अधिक समन्वय और सामंजस्य लाने के लिये, उपलब्ध सुविधाओं का सबके द्वारा उपयोग करने और अंतरविषयी अनुसंधान का विकास करने की दृष्टि के सामान्य कृषि, चिकित्सा, कानून और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा केलिये एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया जाएगा। खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन।
- उच्च शिक्षा के लिये अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से खुले विश्वविद्यालय की प्रणाली शुरू की गई है।
- इन उद्देश्यों के लिये 1985 में स्थापित ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय'' को सुदृढ़ किया जायेगा।

- इस प्रबल साधन का विकास एवं विस्तार सावधानी से और सोच समझकर करना होगा।
- कुछ चुने हुये क्षेत्रों में डिग्री को नौकरी सेअलग करने के लिये कदम उठाये जाएंगे।
- विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों, जैसे इंजीनियरी, चिकित्सा, कानून, शिक्षण आदि में इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आदि में, जहाँ विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, अकादमिक अर्हताओं की आवश्यकता बनी रहेगी।
- डिग्री को नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं में शुरू की जाएगी जिनमें विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक नहीं होनी चाहिए। इस योजना को लागू करने से विशेष कार्यों, अपेक्षित कुशलताओं पर आधारित नये पाठ्यक्रम बनने लगेंगे और इससे उन प्रत्याशियों के साथ अधिक न्याय हो सकेगा जिनके पास किसी विशेष काम को करने की क्षमता तो है लेकिन उन्हें वह काम इसलिये नहीं मिल सकता क्योंकि उसके लिये स्नातक प्रत्याशियों को अनावश्यक रूप से तरजीह दी जाती है।
- नौकरियों को डिग्री से अलग करने के साथ-साथ क्रमिक रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा प्रारंभ की जाएगी। इसके द्वारा स्वैच्छिक रूप से विशिष्ट कामों के लिये प्रत्याशियों की उपयुक्तफता की जांच की जाएगी और इससे देश भर में समतुल्य योग्यताओं के मानक स्थापित हो सकेंगे।

10.10 ग्रामीण विश्वविद्यालय

ग्रामीण विश्वविद्यालय के नये ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा और इसे महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के उन्नयन के लिये सूक्ष्म रूप से आयोजन प्रक्रिया ग्राम स्तरपर चलाने की दृष्टि से योग्य शिक्षा दी जाए। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध संस्थाओं और कार्यक्रमों को सहायता दी जाएगी।

11.0 तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा

यद्यपि तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा अलग धाराओं के रूप में चल रही है। तथापि उनके आपसी घनिष्ठ संबंध और पूरक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दोनों पर इकट्ठा विचार करना आवश्यक है। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा का पुनर्गठन करते समय नई शताब्दी के आरंभ में जिस प्रकार की परिस्थिति की संभावना है, उसे ध्यान में रखना होगा। अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन और प्रबंधकीय प्रक्रियाओं में संभावित परिवर्तन, ज्ञान में तेजी से होते पंख फैलाव, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होने वाली प्रगति को इस संदर्भ में देखना होगा।

- अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढाँचे और सेवा क्षेत्रों के साथ-साथ असंगठित ग्रामीण क्षेत्रों को भी उन्नत टेक्नॉलाजी को और तकनीकी और प्रबंधकीय जनशक्ति की बेहद जरूरत है। सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिया जायेगा।
- जनशक्ति सूचना के संबंध में स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से हाल ही में स्थापित तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली को आगे विकसित तथा सुदृढ़ किया जायेगा।
- वर्तमान तथा उभरती प्रौद्योगिकी दोनों में सतशिक्षा को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- क्योंकि संगणक कम्प्यूटर महत्त्वपूर्ण और सर्वव्यापक साधन बन गया है, अतः संगणक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और उनके प्रयोग में प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा का अंग बनाया जायेगा। संगणक-साक्षरता कम्प्यूटर लिटरेसी के कार्यक्रम स्कूल स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे।
- औपचारिक पाठ्यक्रमों में दाखिले की वर्तमान कड़ी शर्तों के कारण साधारण लोगों में अधिकांश को आज तकनीकी तथा प्रबंधकीय शिक्षा नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिये दूर शिक्षण सुविधायें जिनमें जनसंचार माध्यम का उपयोग भी शामिल है, प्रदान की जायेंगी। तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा कार्यक्रम, पालिटेक्निक शिक्षा सहित, लचीली माड्यूलर पद्धति के अनुसार चलेंगे और इसमें विभिन्न स्तरों पर प्रवेश की सुविधा होगी। इसके लिये पर्याप्त मार्गदर्शन और परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्रबंध शिक्षा की प्रासंगिकता को, विशेष रूप से गैर-नियमित तथा कम व्यवस्थित क्षेत्रों में, बढ़ाने के उद्देश्य से प्रबंध शिक्षा प्रणाली द्वारा भारतीय अनुभव एवं अध्ययन पर आधारित दस्तावेजी जानकारी तैयार की जायेगी और ऊपर बताये गये क्षेत्रों के लिये उपयुक्त ज्ञान एवं शिक्षा कार्यक्रमों का भंडार तैयार किया जायेगा।
- महिलाओं, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों एवं विकलांगों के लाभ के लिये तकनीकी शिक्षा के लिये समुचित औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे।
- व्यावसायिक शिक्षा और उसके विस्तार पर बल देने के लिये व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम विकास आदि के लिये अनेक शिक्षकों और प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी। इस मांग को पूरा करने के लिये कार्यक्रम शुरू किए जायेंगे।
- यह आवश्यक है कि ''स्वयं रोजगार'' को छात्रगण जीविका-विकल्प के रूप में स्वीकार करें। इसके लिये उन्हें उद्यम-विषयक आन्त्रप्रिन्योरशिप प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसकी अव्यस्था डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर पर माड्यूलर तथा वैकल्पिक कोर्सों द्वारा की जायेगी।
- पाठ्यक्रम की अद्यतन बनाने की सतत् आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नवीकरण द्वारा नई प्रौद्योगिकियों और विषयों को शुरू करना होगा तथा पुराने और अर्थहीन होते विषयों को क्रमशः हटाना होगा।

11.1 संस्थागत झुकाव की दिशा

ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पालिटेक्निकों ने सामुदायिक पालिटेक्निकों की प्रणाली के माध्यम से कमजोर वर्गों को उत्पादक व्यवसायों में प्रशिक्षण देना शुरू किया है। सामुदायिक पालिटेक्निक प्रणाली का मूल्यांकन किया जायेगा और उसे समुचित रूप से मजबूत बनाया जायेगा ताकि इसकी गुणवत्ता और प्रसार को बढ़ाया जा सके।

11.2 नवाचार, शोध और विकास

शिक्षा की प्रक्रियाओं के नवीकरण के साधनों के रूप में सभी उच्च तकनीकी संस्थान शोध कार्य में पूरी तत्परता से जुट जायेंगी। इनका पहला मकसद होगा उच्च कोटि की जनशक्ति उपलब्ध कराना, जो शोध और विकास में उपयोगी साबित हो सके। विकास के लिये शोध कार्य, मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार, नई देशज प्रौद्योगिकी की खोज तथा उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने से संबंधित होगा। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने और नये आविष्कारों का अनुमान लगाने के लिये भी उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली संस्थाओं और उनका उपयोग करने वाली प्रणालियों के बीच सहयोग, सहकार्य और आदान-प्रदान के रिश्ते कायम करने के अवसरों का पूरा लाभ उठाया जायेगा। उपयुक्त रख-रखाव तथा रोजमर्रा के जीवन में नये-नये प्रयोग करने और उन्हें सुधारने की मनोवृत्ति को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जायेगा। सभी स्तरों पर दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाना तकनीकी और प्रबंध शिक्षा खर्चीली होती है। लागत के हिसाब से इसको कारगर बनाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित मुख्य उपाय किये जायेंगे-

- आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और पुरानापन हटाया जायेगा। आधुनिकीकरण को महज फैशन के तौर पर या प्रतिष्ठा के रूप में नहीं बल्कि कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिये अपनाया जायेगा।
- जो संस्थाएँ समाज को और उद्योगों को अपनी सेवाएं देने की क्षमता रखती है, उन्हें ऐसे अवसर देकर अपने लिये संसाधन जुटाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्हें अद्यतन शिक्षण संसाधनों, पुस्तकालयों और कम्प्यूटर सुविधाओं से सज्जित किया जायेगा।
- पर्याप्त छात्रावास व्यवस्था, विशेषतः लड़कियों के लिये, की जाएगी। खेल-कूद रचनात्मक कार्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये सुविधाएँ बढ़ाई जायेंगी।
- प्रशिक्षकों की भर्ती में ज्यादा प्रभावशाली प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जायेगा। वृत्ति का विकास के अवसरों, सेवा शर्तों, कन्सलटेंसी के मानदंडों, तथा अन्य सुविधाओं को सुधारा जायेगा।
- शिक्षकों को बहुमुखी भूमिकाएँ निभानी होंगी, यथा शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षण सामग्री तैयार करना तथा संस्था के प्रबंध में हाथ बढ़ाना। संकाय सदस्यों के लिये सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिये जाएंगे और पर्याप्त प्रशिक्षण रिजर्व उपलब्ध किये जायेंगे। स्टापफ विकास कार्यक्रम राज्य स्तर पर समेकित, तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर समन्वित किये जायेंगे।
- तकनीकी और प्रबंध कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या का लक्ष्य यह होगा कि उद्योगों तथा उनका उपयोग करने वालों की वर्तमान और भावी आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। तकनीकी अथवा प्रबंध संस्थानों और उद्योगों के बीच सक्रिय कार्यसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। यह संबंध कार्यक्रम-नियोजन में, कार्यान्वयन में, कर्मचारियों के विनिमय में, प्रशिक्षण-सुविधाओं और संसाधनों में, अनुसंधान और कन्सलटेन्सी सलाहकारी में, और पारस्परिक लाभ के अन्य क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा।
- संस्थाओं और व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्य की मान्यता दी जायेगी और पुरस्कृत किया जाएगा। घटिया स्तर की संस्थाओं का उभरना रोका जाएगा। प्रशिक्षक संकाय के पूर्ण सहयोग से एक ऐसा संस्थागत माहौल तैयार किया जायेगा जिसमें उत्कृष्टता और नव-प्रयास को पनपने का अवसर प्राप्त हो सके।
- चुनिन्दा संस्थाओं को शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वतन्त्रता विभिन्न सीमाओं तक दी जायेगी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी के समुचित निर्वाह के लिये जवाबदेही की व्यवस्था भी की जायेगी।
- तकनीकी शिक्षा का संबंध उपयोग, अनुसंधान और विकास संगठनों से, ग्रामीण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से तथा पूरक स्वरूप वाले अन्य शिक्षा-क्षेत्रों से स्थापित किया जायेगा।

11.3 प्रबंध कार्यकलाप और परिवर्तन

प्रबन्ध पद्धतियों में संभावित परिवर्तनों की, और इन परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परिवर्तन प्रक्रिया के स्वरूप और दिशा को समझने की कारगर पद्धतियां तैयार की जायेंगी। परिवर्तन को पचाने की दक्षता को विकास किया जायेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को विधिक प्राधिकार प्रदान किया जायेगा। परिषद् इस प्राधिकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा का नियोजन करेगी, स्तरों और मानदंडों का निर्धारण और अनुरक्षण, प्रत्यापन, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिये वित्तीय व्यवस्था, अनुश्रवण और मूल्यांकन, प्रमाणन एवं पुरस्कारों की समकक्षता का निर्वहन, तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा के बीच समन्वय- ये सब कार्य सम्पन्न करेगी। समुचित रूप से गठित एक मान्यता प्राप्त बोर्डनिश्चित अवधियों पर अनिवार्य रूप से तकनीकी शिक्षा की प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगा।

शिक्षा प्रमाणों को बनाये रखने तथा अन्य अनेक अनुकूल कारणों को ध्यान में रखकर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जायेगा। इसके विकल्प के रूप में स्वीकृत मानदंडों और सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप इन क्षेत्रों में निजी और स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करने की एक नई पद्धति तैयार की जायेगी।

क्रमशः शेष अगले अंक मे पढ़ें